न्यायालय

पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल, मध्यप्रदेश

(नया पुलिस कंट्रोल रूम, चतुर्थ तल, जहांगीराबाद- भोपाल- 462008)

क्र.-पु.आयु./पु०उपा०/आसू०सुरक्षा/भो०/आ० 19 /26 दिनांक- 24/06/2026

//आदेश//

(अंतर्गत धारा- 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ज्ञापनों, सामाजिक संगठनों व जनसामान्य से यह तथ्य प्रकाश में आया कि शहर में नाबालिकों/युवाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के नशे (चरस, गांजा आदि) के सेवन हेतु रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल का चलन बढ़ गया है जो कि मादक पदार्थ (चरस, गांजा आदि) को सुगमता से अपने साथ रखने, छुपाने व सेवन करने में आसान/सरल है। इसमें टाईटेनियम ओक्साईड, पोटेशियम नाईट्रेट, आर्टिफिसल डाई, केल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरिन ब्लीच जैसे जहरीले पदार्थ पाये जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिये बेहद हानिकारक है। रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों जैसे सहज उपलब्ध होने वाले स्थानों में विक्रय किया जाने लगा है, जिससे सरलता से नाबालिकों/युवाओं को उपलब्ध है। जिसके परिणामस्वरूप नाबालिकों/युवाओं में नशे की प्रवृत्ति तथा नशे में कारित अपराधिक गतिविधियों में वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जो उनके स्वयं व जन सामान्य के लिये गम्भीर खतरा बन सकता है। रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के उपयोग की रोकथाम की दृष्टि से इसके पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों जैसे सहज उपलब्ध स्थानों से विक्रय पर प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः भोपाल नगरीय क्षेत्र की सीमा में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के विक्रय से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु पान की दुकान, परचून/किराने व चाय की दुकानों जैसे सहज उपलब्ध स्थान से रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन, पर्फेक्ट रोल के विक्रय को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।

चूंकि उक्त आदेश को जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल प्रभावशील किया जानाआवश्यक हो गया है, समय अभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो आगामी दो माह तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीयन्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है ।

यह आदेश आज दिनांक- 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रांकित कर जारी किया गया है।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.24 16:56:22 +05'30'

(संजय कुमार भा.पु.से.)
पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल

न्यायालय पुलिस आयुक्त भोपाल (म.प्र.)

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, गृह विभाग मंत्रालयवल्लभ भवन।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला भोपाल।
4. आयुक्त, जनसंपर्क भोपाल।
5. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा/ मुख्यालय एवं अपराध नगरीय पुलिस भोपाल।
6. आयुक्त, नगर निगम भोपाल।
7. समस्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल।
8. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल।
9. उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल।
10. समस्त थाना प्रभारी नगरीय पुलिस भोपाल। (अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का प्रचार-प्रसार करने तथा कड़ाई से पालन कराये जाने बाबत्।)
11. प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष जहांगीराबाद भोपाल।

SANJAY KUMAR
Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.24 16:57:39 +05'30'

पुलिस आयुक्त
नगरीय पुलिस भोपाल

कार्यालय पुलिस आयुक्त भोपाल (म.प्र.)